फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/एचआईएएल/सीपी-IV/2025-26

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

ऐरा कार्यालय,
उड़ान भवन, तृतीय तल,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

दिनांक : 29 जून, 2026

सार्वजनिक सूचना संख्या 08/2026-27

विषय: जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीएचआईएएल) द्वारा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, हैदराबाद के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने संबंधी ऐरा के दिनांक 19.06.2026 के परामर्श पत्र (सीपी) संख्या 02/2026-27 के अंतर्गत अपेक्षा किए अनुसार एटीपी/टैरिफ कार्ड की प्रस्तुति

राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, हैदराबाद के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि (01अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने संबंधी दिनांक 19.06.2026 के परामर्श पत्र (सीपी) संख्या 02/2026-27 की ओर सभी संबंधितों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. इस संबंध में जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीएचआईएएल) ने परामर्श पत्र के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार दिनांक 26.06.2026 के अपने पत्र संख्या जीएचआईएएल/2026-27/एसपीजी/2220 द्वारा प्रस्तावित एटीपी/टैरिफ कार्ड ऐरा को प्रस्तुत कर दिया है। एटीपी/ टैरिफ कार्ड की प्रति संलग्न है। **सभी हितधारकों को सूचित किया जाता है कि एटीपी/टैरिफ कार्ड प्रस्ताव हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रस्तुत किए अनुसार है। परंतु, प्राधिकरण अपने स्तर पर यथोचित परिश्रम करके और व्यापक परामर्श प्रक्रिया अपनाने के बाद टैरिफ दरों को युक्तिसंगत बनाता है और सभी हितधारकों की टिप्पणियों/विचारों को ध्यान में रखकर टैरिफ दर कार्ड को अंतिम रूप देता है। प्राधिकरण द्वारा जारी अंतिम टैरिफ दर कार्ड संभवत: हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रस्तुत कार्ड से भिन्न हो सकता है।**

3. एटीपी/ टैरिफ कार्ड ऐरा की आधिकारिक वेबसाइट पर “सार्वजनिक सूचना (Public Notice)” के अंतर्गत परामर्श पत्र संख्या 02/2026-27 के साथ देखा जा सकता है।

4. उपर्युक्त जानकारी सभी हितधारकों के लिए है।

(राम कृष्ण)
निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी)